


29/3/23 पन्नावली पेश हुई। वादी एवं
वादी वकील अनुपस्थित। पन्नावली का
अवलोकन किया गया। दिनांक 17/09/20
से आज दिनांक तक वादी द्वारा प्रतिवादी का
की-तलबी नहीं कराई गयी। अतः सुनवाई
0-9 R-2/0-9 R-5 में खारीज किया जाता
है। पन्नावली मजबूर से कम ही बाद प्रति
वादी वकील दफ्तर है। सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर
बहरोड़ (अनूप) जिला